क्रम-संख्या–184(क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस0एस0पी0/एल0-डब्लू/एन0पी0–91/2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 14 नवम्बर, 2025

कार्तिक 23, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

चीनी उद्योग अनुभाग–3

———

संख्या 1542/46-3-25-3 (48) 98-99

लखनऊ, 14 नवम्बर, 2025

———

अधिसूचना

प0आ0–187

पेराई सत्र 2025-26 के लिए श्री राज्यपाल, प्रदेश की समस्त चीनी मिलों द्वारा क्रय किये जाने वाले गन्ने की विभिन्न प्रजातियों का ''राज्य परामर्शित मूल्य'' निम्नवत निर्धारित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1-	अगैती प्रजातियां	रु0 400 प्रति कुंतल
2-	सामान्य प्रजातियां	रु0 390 प्रति कुंतल
3-	अनुपयुक्त प्रजातियां	रु0 355 प्रति कुंतल

2- पेराई सत्र 2025-26 हेतु उपरोक्तानुसार निर्धारित गन्ने का ''राज्य परामर्शित मूल्य (एस0ए0पी0)'' के अनुसार देय गन्ना मूल्य का भुगतान चीनी मिलों के द्वारा कृषकों को एकमुश्त किया जायेगा।

3- पेराई सत्र 2025-26 के लिए चीनी मिलों के वाह्य क्रय केन्द्रों से गन्ने का परिवहन मिल गेट तक कराए जाने के मद में होने वाली ढुलाई कटौती की दर 60 पैसे प्रति कुन्तल प्रति कि0मी0 अधिकतम रु0 12.00 प्रति कुन्तल होगी, जिसके अनुसार वाह्य क्रय केन्द्रों पर आपूर्ति किए गए गन्ने का मूल्य तदनुसार चीनी मिलों द्वारा देय होगा।

4- पेराई सत्र 2025-26 हेतु गन्ना कृषकों/सहकारी गन्ना विकास समितियों के हितों के दृष्टिगत चीनी मिलों के द्वारा गन्ना समितियों एवं गन्ना विकास परिषदों को दिये जाने वाले अंशदान की दर अंकन रु0 5.50 प्रति कुन्तल निर्धारित की जाती है। उक्त निर्धारित दर के अनुसार पेराई सत्र 2025-26 में अंशदान का भुगतान चीनी मिलों के द्वारा किया जायेगा।

आज्ञा से,

वीना कुमारी,

अपर मुख्य सचिव।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 242 राजपत्र–2025–(748)–599 प्रतियां–(डी0टी0पी/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 1 सा0 चीनी उद्योग–2025–(749)–200–(डी0टी0पी/ऑफसेट)।